

# मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2003 सत्र

## कानून कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 27 फरवरी, 2003 (फाल्गुन 8, 1924)

समय 10.30 बजे बिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

### 2. नियम 136 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री रमाकांत लिवारी, वंचुलाल प्रजापति, पुष्पराज सिंह, सदस्य, नीवा जिले में पाला एवं ओला पड़ने से फसलों को हुई क्षति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, प्रदेश के अनेक निजी महाविद्यालयों की मान्यता समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

### 3. प्रश्नोत्तर की प्रस्तुति

श्री वेस्ता पटेल, सदस्य, नियम समिति का अनुर्धा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

### 4. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री वीरसिंह रघुवंशी, विधि और विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 5 सन् 2003) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे।

(2) श्री घनश्याम पाटीकार, सामान्य प्रशासन मंत्री, मध्यप्रदेश लोक आयुक एवं उप-लोक आयुक (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 8 सन् 2003) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे।

(3) श्री सुरेन्द्र चौधरी, राज्यमंत्री कृषि, मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 9 सन् 2003) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे।

(4) श्री प्रताप सिंह उड़के, राज्यमंत्री सार्वजनिक उपकरण, मध्यप्रदेश सार्वजनिक उपकरणों के कर्मचारियों का लोक सेवा में संविलियन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 10 सन् 2003) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे।

### 5. वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक पर सामान्य अर्थ---(क्रमांक)।

प्रोपाल :  
दिनांक : 26 फरवरी, 2003

डॉ.ए.के. पद्माली  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा।